P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-II*October-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

नारी के विरुद्ध अपराध : वैश्विक परिदृश्य

अमरनाथ
प्रवक्ता,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय
डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर

सारांश

प्रत्येक देश की आधी आबादी महिलाओं पर आधारित होती है लेकिन यह एक विडम्बना है कि अधिकतर समाजों में महिलाओं की स्थिति निम्न है और उन्हें यौन या शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ता हैं। वास्तव में महिलाओं की समाज में निम्न स्थिति का कारण शिक्षा, आर्थिक , राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक है जो उसे पुरूष के अधीन रखते हैं। सामाजिक विचार धाराओं, संस्थागत रीति–रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया हैं। NCRB 2014 के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराध दोगुने हुए हैं। यहां लगभग हर दो मिनट में ऐसी एक शिकायत दर्ज होती है। बलात्कार महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीभत्सतम रूप हैं। जिसकी त्रासदी समूचे विश्व में महिलाओं को झेलनी पड़ती है, महिलाओं के खिलाफ क्रूरता, शीलभंग, छेड़छाड़, दहेज अपराध, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, साइबर हिंसा, भद्दे ई–मेल, अश्लील संदेश, ऑनर किलिंग ऐसिड अटैक्स, स्टाकिंग एवं वायुरिज्म की घटनाएं होती है।

महिलाओं के लिए पहले से बने लगभग 20 कानून औरतों को सुरक्षा देने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाय वस्तुतः स्त्री को सशक्त किया जाय, स्त्री सशक्तिकरण उसकी चेतना अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। औरतों को आत्म निर्भर बना दिया जाय, उसकी सवेदनशीलता कम करने के लिए उसे घर से बाहर निकले का अवसर दिया जाय। बाहर के दुनिया से सम्पर्क बढ़ेगा तो वह खुद को संभालने में सक्षम होगी तथा मनोवैज्ञानिक रूप से ताकतवर होगी। महिलाओं के उपर आज दोहरी जिम्मेदारी है न केवल अपने विचार परिवर्तन की बल्कि परिवार व समाज परिवर्तन की जिम्मेदारी भी उसी की है।

मुख्य शब्द : महिलाओं के विरुद्ध अपराध, महिलाओं का शोषण , उत्पीड़न, मानव तस्करी, साइबर हिंसा, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक, स्टाकिंग, वायुरिज्म, बलात्कार, संवेदनशीलता।

प्रस्तावना

प्रत्येक देश की आधी आबादी महिलाओं पर आधारित होती है। लेकिन यह एक विडम्बना है कि समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत विरोधाभासी रही है। एक तरफ उसे शक्ति के रुप में प्रतिष्ठित किया जाता है, तो दूसरी ओर उसके खिलाफ अपराध और हिंसा की जाती है इन दोनो ही अतिवादी धारणाओं ने नारी के स्वतन्त्र विकास में बाधा पहुंचाई है। युग नायक स्वामी विवेकानंद ने वर्षों पहले कहा था किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति, इस लिहाज से देखा जाए तो अधिकतर समाज इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते।

भारत की संस्कृति विरोधा भासों से भरी हुई है। 10 मई 2009 को मदर्स डे मनाया गया हिन्दुस्तान पत्रिका ने एसएमएस के द्वारा सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के पाठकों के समक्ष माँ के सात विविध रुप रखे गये और जानने की कोशिश की गई कि माँ का कौन सा रुप उन्हें मनोहारी लगता है 36.65% ने माँ को जननी माना, 24.59% ने माँ को सरस्वती माता माना, जबकि 16.33% ने माँ को संस्कारदायनी माना।[1]

महिलाओं के खिलाफ अपराध से कोई देश अछूता नही रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन डिपार्टमेण्ट आफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एण्ड रिसर्च के 2013 के आँकडे कहते है कि दुनिया भर की 35% महिलाओं को किसी न किसी स्थिति में अपने इनटिमेट पार्टनर (अंतरंग साथी) की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। वह यौन या शारीरिक हिंसा कुछ भी हो सकता है जब कि कुछ देशों में 70% महिलाओं को यह यातना झेलनी पड़ती है। वास्तव में महिला की समाज में निम्न

स्थिति का कारण शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक है, जो उसे पुरुष के अधीन रखते है। इस कारण ही व्यक्ति उसका मनचाहा शोषण करता है यह शोषण शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का है, बलात्कार भी उसी में से एक है।[2]

संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूएनओडीसी के 2014 के अनुमानों के अनुसार साल 2012 में विश्व में महिलाओं की कुल हत्याओं में से आधी अंतरंग साथी या परिवार के किसी सदस्य द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूरोपीय संघ के 28 देशों में 43% महिलाओं को किसी न किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक शोषण का सामना करना पडता है। इसके अतिरिक्त विश्व की 70 करोड़ महिलाओं की शादियां 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। इनमें हर तीन में से एक लड़की की शादी 15 वर्ष से कम उम्र में होती है। इतनी उम्र में वे किसी यौन सम्बन्ध से इनकार नहीं कर पातीं जिसका नतीजा कम उम्र में गर्भधारण और यौन संक्रमण होता है। संयुक्त राष्ट्र वूमेन का ऑकड़ा यह भी कहता है कि विश्व स्तर पर 12 करोड़ लड़कियों को जबरन यौन सम्बन्ध के लिए मजबूर किया जाता है यह बलात्कार का ही एक दूसरा रुप है। वर्ष 2016 जीरो टॉलरेंस फॉर वूमेन जेनिटज म्यूटिलेशन पर संयुक्त राष्ट्र अन्तराष्ट्रीय दिवस पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व की लगभग 20 करोड़ महिलाओं को यौन हिंसा के कारण अपनी देह खासकर अपनी जननांगों के क्षत–विक्षत होने की यंत्रणा झेलनी पड़ती है। महिलाओं की शारीरिक स्थिति जैसे विकलांगता या उसकी जाति भी उसके खिलाफ हिंसा की आशंका बढ़ाती है। हिंसक झड़पों, दंगों के दौरान या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी महिलाओं की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और उनके खिलाफ अपराध बढ़ते हैं।[3]

भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण की शिकार रही हैं, जितने काल से हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है।[4] सामाजिक विचारधारोओं, संस्थागत रिवाजों और समाज मे प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीडन में काफी योगदान दिया है जबकि यहॉ शक्ति के रुप में स्त्रियों की उपासना होती है। किन्तु अपराध और हिंसा का शिकार भी उन्हें ही सबसे ज्यादा होना पड़ता है। नेशनल क्राइम रिकार्डस ब्यूरो (NCRB) के वर्ष 2014 के अनुसार पिछले दस वर्षो में महिलाओं के खिलाफ अपराध दोगुने हुए हैं। पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ 22.40 लाख अपराध दर्ज हुए है। इंण्डिया स्पेंड के एक सर्वेक्षरण के मुताविक देश में हर घंटे में 26 हिंसक मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज होते हैं। लगभग हर दो मिनट में ऐसी एक शिकायत दर्ज होती है।

बलात्कार महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीभत्सतम रुप है जिसकी त्रासदी समूचे विश्व में महिलाओं को झेलने पड़ती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अधिकतर बलात्कार किसी परिचित द्वारा ही किया जाता है। विश्व में बलात्कार की सबसे अधिक घटनाएं यूथोपिया में होती है, यहॉ लगभग 60% महिलाएं यौन उत्पीड़न झेलती हैं। इसके बाद क्रमशः श्रीलंका, कनाड़ा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में बलात्कार की घटनाएं होती हैं।

देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले मुख्य अपराधों में भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 498ए पति या संबन्धियों द्वारा की गई क्रूरता का सबसे बड़ा हिस्सा है, पिछले दस वर्षों में ऐसे 9,09,713 मामले दर्ज किये गये यानी एक घण्टे में 10 मामले दर्ज हुए। महिला के शील को भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना, जिसे पहले भारतीय दंड़ संघिता की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ के रुप में वर्गीकृत किया जाता था पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा अपराध है। अपहरण तीसरा सबसे बड़ा अपराध है, जिसके 4,70,556 मामले दर्ज किये गये। बलात्कार और उत्पीड़न का नम्बर इसके बाद आता है। पिछले दस वर्षों में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत 66,000 से अधिक मामले दर्ज किये गए है। इन मामलों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये ऑकड़ें दर्ज अपराधों के हैं। जहाँ तक घरेलू हिंसा का सवाल है, अक्सर सामाजिक और पारिवारिक सम्मान की दुहाई देकर ऐसे मामलों को दर्ज नहीं किया जाता है। उसे घर में ही सुलझाने के बाबत परिवार के बीच छिपा दिया जाता है।[5]

एनसीआरबी के ऑकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में आधे से अधिक अपराध 54.1% केवल पाँच राज्यों उत्तर प्रदेश 13.3%, मध्य प्रदेश–12.1% महाराष्ट्रा–10.9%, राजस्थान– 9.35%, आन्ध्र प्रदेश– 8.5%, में मिलता है तथा शेष 45.9% अपराध 24 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में मिलता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अपराधकर्ताओं में वे लोग सम्मिलित होते हैं जो अवसाद ग्रस्त होते हैं, जिनमें वैयक्तिक दोष होते हैं, जिनके पास संसाधनों, प्रवीणताओं और प्रतिभावों की कमी होती है, जिनकी प्रवृत्ति में मालिकानापन, शक्कीपन और प्रबलता है, जिनका पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण है, जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए हों।[6]

यूएनओडीसी का एक सर्वेक्षण बताता है कि महिलाएं ही सबसे अधिक मानव तस्करी की शिकार होती हैं तस्करी की शिकार तीन बच्चों में से दो लड़कियां होती है। मूलभूत अधिकारों पर यूरोपीय संघ एजेंसी की रिर्पोट कहती है कि हर 10 में से एक महिला साइबर हिंसा से पीड़ित है यह हिंसा का एक आधुनिक रुप है जो बदलती तकनीकी के साथ अपना पैर जमा रहा है लड़कियों को 15 वर्ष की उम्र से ही भद्दे ईमेल या एस एम एस का शिकार होना पड़ता है। इसमें शोसल नेटवर्क साइट्स पर अश्लील संदेश भेजना भी शामिल है।

भारत में एनएफएचएस के सर्वेक्षण कहते हैं कि देश में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। यहाँ हर नौ मिनट मे ऐसा कोई न कोई मामला जरुर दर्ज हेता है। जिसमें महिला को उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा हिंसा का शिकार बनाया जाता है। महिलाओं के विरुद्ध

हिंसा विवाह के सन्दर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है,जबकि पति जिसके लिए यह समझा जाता है कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करेगा, उसे पीटता है, एक स्त्री के लिए उस आदमी द्वारा पीटा जाना जिस पर वह सर्वाधिक विश्वास करती थी एक छिन्न–भिन्न कर देने वाला अनुभव होता है।[7]

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का एक स्वरुप ऑनर किलिंग भी है। पूरी दुनिया में लाखों औरतें पतियों, पिता, किसी रिश्तेदार या भाई द्वारा सिर्फ इस लिए मार दी जाती हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने परिवार का नाम बदनाम किया है। शादी से मना करने, अपनी पसंद से शादी करने, या कपड़े पहनने, घर छोड़ कर चले जाने, जैसे मामलों के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। अफगानिस्तान, मिस्र, ईरान, जोर्डन, लेबनान, लीबिया,मोरक्को, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया से लेकर भारत तक में यह आम बात है। पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अपनी इच्छा थोपने में असफल होने पर 34% हमले पुरुषों द्वारा किये जाते है। जिसमें एसिड फेकने की घटनाएं भी है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कंबोड़िया में एसिड हमला सामान्य हैं।

बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट हाउ मैनी एसिड अटैक्स आर देयर में कहा गया है लगभग 72% एसिड अटैक्स में महिलाएं ही शिकार होती हैं। इसके अलावा महिलाओं के विरुध होने वाली एनसीआरबी के वर्ष 2014 के अनुसार 4700 मामले स्टाकिंग और 674 वायुरिज्म के मामले दर्ज किये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1987 से ले कर 2003 तक 2556 महिलाओं की हत्या इस कारण कर दिया गया क्योंकि लोगों को लगता था कि वे चुडैल या डायन हैं।

सेन्टर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेंट के अध्ययनों में यह बात सामने आयी कि आपदा कोई भी हो सूखा, बाढ़, भूकम्प या फिर दंगा फसाद, जातीय हिंसा, उसका सबसे अधिक शिकार महिलाएं ही होती है। उत्तराखण्ड की बाढ़ में ऐसे कई मामले सामने आये थें। इसके अलावा जातीय हिंसा, दंगों या सामाजिक आन्दोलनों में भी महिलाओं को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है। हरियाणा का मुरथल सामुहिक बलात्कार इसका हाल का उदाहरण है। इससे पहले उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात दंगों के भयावह सच को कौन नहीं जानता है ?

उद्देश्य

भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा को रोकने के लिए पहले से बने कई कानूनों को और कठोर बनाने का प्रयास केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 में संशोधन की बात की जा रही है, संशोधन में बलात्कार की परिभाषा बदलकर यौन हमला किया जायेगा और बलात्कार की सजा 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास की जायेगी। इसके अलावा एसिड हमले, यौन उत्पीड़न, छिपकर देखने, महिला को निर्वस्त्र करने जैसे नये अपराधों को भी भारतीय दंड संघिता में शामिल किया जायेगा। इस कानून में पीड़ित को तत्काल राहत देने के लिए चिकित्सकों और सरकारी अधिकारियों को अधिक जबावदेह बनाया गया है।[8]

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार सेलफोन में एक पैनिक बटन लगाने की योजना बना रही है जो जीपीएस से जुड़ा होगा। पीड़ित महिलाओं के पूनर्वास के लिए सरकार ने एक निर्भया फण्ड की स्थापना की है। पुलिस बल में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाने हेतु केन्द्रशासित प्रदेशों और कुछ राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है साथ ही महिला स्वयं सेवकों की भर्ती की जा रही है जिनका काम आस–पास के इलाको में घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों का रिपोर्ट करना है।

निष्कर्ष

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ की जाने वाली हिंसा आज मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन है, दमन की दास्तां किसी एक देश की आप बीती नहीं है इसका हल क्या है? भारत में महिलाओं के विरुद्ध जिस प्रकार के हिंसा का रुप दिखाई देता है उसमें 60.4% को घरेलू स्तर पर ही हल किया जा सकता है। महिलाओं के लिए पहले से बने लगभग 20 कानून औरतों को सुरक्षा देने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके हैं। वस्तुतः स्त्री को सशक्त किया जाय, स्त्री सशक्तिकरण उसकी चेतना अपने अधिकार के प्रति जागरुकता से पूरी तरह जुड़ा हैं। इण्यिन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे कहता है कि औरतों को आत्मनिर्भर बना दीजिए, उसकी संवेदनशीलता कम करने की सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह घर से बाहर निकले और काम करें। बाहर की दुनिया से सम्पर्क बढ़ेगा तो वे खुद को संभालने में सक्षम होंगी और मनोवैज्ञानिक रुप से ताकतवर भी। महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है न केवल अपने विचार परिवर्तन की बल्कि परिवार व समाज परिवर्तन की जिम्मेदारी भी उसी की है।[9]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दुस्तान, 10 मई 2009.
2. फोर्थ वर्ल्ड कांफ्रेस आफ वीमन, वीजिंग 1995,पृष्ठ 98–99.
3. यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एण्ड शोसल अफेयर्स की द वर्ल्डस वूमेन रिपोर्ट 2015.
4. Ahuja Ram % Violence Against Women, Rawat Publication Jaipur 1987 .
5. पी0वी0 काणे, 'धर्मशास्त्र का इतिहास' उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, लखनऊ, पृष्ठ– 348–349.
6. Blumer D.Neuro: Psychiatric aspects of Violent Behaviour University of Torento-
7. योजना वर्ष 53 अंक 10– योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 2008.
8. योजना वर्ष 60 अंक 9 योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली सितम्बर 2016.
9. Gelles Richard, J: The Violent Home : A study of physical aggression between husband and wife,sage publication Beverly hills California1974.